राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 186 / 2019

सुमन देवी पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादिया

ब–ना–म

1. किशोर सिंह पुत्र कनक सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र कनक सिंह
   जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. नाहर सिंह पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–:निर्णय :– **दिनांक 14–03–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–12–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 88 के खसरा नंबर 748 रकबा 0.08 है., ख.नं. 749 रकबा 0.25 है., ख.नं. 750 रकबा 1.96 है., ख.नं. 756 रकबा 2.00 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.29 है. में वादिया के 361 / 858 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ. / 2021 / 457 दिनांक 15.02.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया की [illegible] पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.[illegible].2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–6' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–6' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–02–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. अ–6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14–03–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:25 IST
Reason: SelfAttested